JANUARY 2011

The Hindu, Monday, January 17, 2011

If villagers won't go to town, town will come to villagers

Chattisharh tribals punished for exercising rights under Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act

One morning in March 2010, residents of Premnagar awoke to discover they were villagers no more. The administrative notification had dissolved Premnagar's village council or gram panchayat and replaced in a city council or nagar panchayat/ unbeknownst to residents, Premnagar in Chhattisgarh's Surguja district had become one of India's newest urban centres.

"But our gram was not worried of being a nagar," said Ghasi Ram, former sarpanch Premnagar, as he sat by a burning brightly beside a vegetable patch. "The decision was taken without the consent." Ghasi Ram Jaggi Devi and two other filed a petition in the Bilaspur High Court, claiming that the 'urbanization' of Premnagar was unconstitutional and pushed by local administration and politicians to set up a thermal power plant on village land.

About 64km from Ambikanagar, the administrative headquarters of Surguja, Premnagar is no ordinary village. In legal parlance, Premnagar falls in a 'Schedule C' distinguished in the constitution by its significant tribal population and government by special laws like the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA).

Parts IX and IX (A) of the Indian Constitution govern the creation of gram panchayats and urban municipality and specifically state at their provisions shall not applicable in scheduled area says Sudha Bharadwaj, counsel for the Premnagar residents. "So, the PESA was necessary to extend the panchayat system to rural areas. "The PESA only governs gram panchayats and makes mention of urban bodies like nagar panchayats. ."You need a spate act to create a nagar panchayat in a scheduled area, without which notification of an urban area would be unconstitutional," the counsel says.

A Municipal (Extension to Scheduled Areas) Bill was introduced in the Rajya Sabha in 2001, but was not passed. In September 2009, the Jabalpur High Court held that the PESA did not apply to scheduled areas, stayed the elections in 52 district panchayats and municipalities ins uch areas, and asked for the parliament to devise a law for urban areas.

It is hard to overstate the importance of the PESA. Specific provisions in the law are designed to prevent tribal alienation from their lands and the restoration of illegally alienated land. Another provision makes it mandatory for the gram sabha to be consulted prior to land acquisition in tribal areas. In their 2009 report, 'Development Challenges in Extremist Affected Areas', the Planning Commission notes that "Schedule V and PESA are powerful legislation but implementation of this law is weak and ineffective.

In 2008, the Union government asked the Institute of Rural Management, Anand, (IRMA) to include a chapter on the PESA in the Panchayati Raj Report 2008-09. Titled,"PESA, Left-wing Extremism and Governance: Concerns and Challenges in India's tribal districts', the

chapter noted that "legal and administrative subterfuge has kept the provisions of the PESA as a set of aspirations and the agenda of self-governance remains postponed. In several cases, the practice of the State government is to sign high profile MoUs with corporate houses.Deeply the Acquisition Act to ostensibly acquire the land for the State industrial corporation (which)leases the land to the private corporation – a complete travesty of the term 'acquisition for a public purpose,' as sanctioned by the act.' However the chapter was dropped from the final report without any explanation.

The conclusions of the IRA report are eerily echoed in the Premnagar experience. In June 2005, the Chhattisgarh State Electricity Board and Indian Farmers Fertilizer Cooperative (IFFCO) signed a memorandum of understanding to set up a 1,320 W thermal power plant on about 850 hectares of land in Premnagar and six adjoining villages. "The plant would have taken about three quarters of the land of our village, said Mr.Ghasi Ram, "So we refused to give our land."

Through 2005 and 2006, the Premnagar gram sabha passed three resolutions opposing the prject and expressed their opposition in a series of representations to the office of the Governor of Chhattisgarh and the President of India. The proposed power plant was finally shifted to an adjacent cluster of villages," But the government made us an urban centre because of our opposition to the power plant," Mr.Ghasi Ram claimed.

'Nagar panchayat, a gift to residents'

On July8, 2009, the Chief Minister of Chhattisgarh, Raman Singh visited Ambikapur where he held an informal interaction with a group of local journalists. The Nayi Dunia newspaper carried a report, quoting Mr.Singh as saying that Premnagar had been made a nagar panchayat as a "gift" to her residents for the support extended to the IFFCO power plant.

On the same day, the MLA of Premnagar, Renuka Singh (BJP), wrote to a letter to Mr.Raman Singh, requesting that Premnagar be designated an urban area as its population was approached a threshold limit of about 5,500 persons as per the 2001 census. However, censis records show that Premnagar had a population of only 3,920 persons at the time.

The administration swung into action. On July 30, 209, the Secretary for Urban Administration and Development issued a notification, designating Premnagar as a nagar panchayat and invited objections. Villagers allege that they were not informed and that no signs or notices were posted in their village.

In November 2009, the office of the Surguja Collector issued a notification disestablishing Premnagar village to make way for a new municipality. The notification itself was dated 13 July 2009 but referred to Letter No.4618/2009/18/3971 dated August4, 2009- nearly three weeks in the future.

On January7, 2010 the State government nominated a committee for the Municipal Council of Premnagar. Soon after, the villagers went to court. 'I don't see any link between the IFFCO plant and the Premnagar case, especially now that the plant shall not be built there.' said Kamnalpreet Singh, District Collector, Surguja. Mr.Singh said that Premnagar, much will other former villages in Chhattisgarh, had been notified under the Chhattisgarh Municipalities Act which does not distinguish between scheduled and non0scheduled areas. "If there is a conflict between two laws, then the courts hall have to decide," he said.

The Times of India, Monday, January24, 2011

Striptees: Villagers in a corner of Orissa are taking extreme measures to tackle deforestation. Those caught chopping a tree are stripped and made to stand at the village square

New Delhi: People who live in forests ad survive on their munificence know best how to preserve them. Worried about the dwindling forest cover around them, residents of Tentuliaguda, a village in Orissa's Korapur district, decided on a brutal punishment for those who cut trees. If caught red-handed, the culprit is stripped naked and made to sit at the village square the entire day.

"It was a really alarming situation for us because we were losing trees. The offenders were mostly villagers from Dhaiguda, Durkagusa, Ponjisheel and Chhotagurda,"says Ganpatibhoi, a ward member from Tentuliagusa. So the villagers started guarding the forest by turns. "We gave the culprits many warnings, but they refused to listen. The forest officials were hardly bothered. So, we deiced to mete out a punishment that the culprit is not likely to forget in a long time, "says Kamubhaoi, who is also locally known as 'engineer' because he helped build a canal in the village.

Other villages, too, are taking action against such offenders. The women of Tologaubarikante are equally protective about their green cover. The local mahila Mahasangh tried to stop people from hacking trees but found direct action was the only way out.

"We hired a tribal boy for Rs.2,000 a month to guard the forest but he could not stop the culprits. Then we decided that all women in mahasangh world take turns to guard the forest. At any time there are two women on guard," says Khiromanigauda from Tologaudbarikante. The fact that the women are armed and are ready to put up a fight has achieved the desired result. "It's been three months and there has been no attack on our forest. *Jundle hai to mangal hain."*

Mahasangh member Yashoda Gausa points out that the forest actually sustains her community. "We get so much from the forest. We use the leaves to make our plates, we use wood to build our houses and the twigs are used as firewood. Then there are the fruits that see us through food crises."

These gutsy women have won praise and earned the respect of NGOs active in the area. Saraswathi Rao, programme manager of German organization Welthungerhilfe, says, "It is heartening to know that these women are able to stand uo for their rights and take action against injustice."

Koraput district collector Rajesh Pravakar Patil, too, believes that the government can help protect the forests but a people's movement is much more effective.

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली । सोमवार • 17 जनवरी • 2011

यूपी में जैविक खेती को बढ़ावा देगा एसोचैम

▶ इसके लिए राज्य के पांच जिलों को गोद लेने की तैयारी ▶ मुख्यमंत्री मायावती से चर्चा के बाद तय होंगे जिलों के नाम

खेत-खलिहान

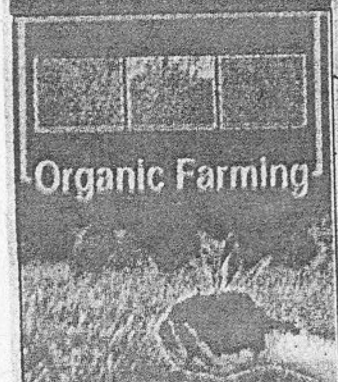

▶ निजी व सरकारी भागीदारी से विकसित किए जाएंगे 25 केंद्र

▶ इन केंद्रों से छह लाख लोगों के लिए मुहैया होंगे रोजगार के अवसर

▶ इन केंद्रों में किसानों को दिया जाएगा जैविक खेती का प्रशिक्षण

▶ मौजूदा समय में यूपी में आमतौर पर नहीं है आर्गेनिक खेती का चलन

लखनऊ (एजेंसी)। एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज आफ इंडिया (एसोचैम) उत्तर प्रदेश में आर्गेनिक (जैविक) खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पांच जिले गोद लेगा।

इस कार्यक्रम के तहत उद्योग मंडल किसानों और लघु एवं मझोले व्यवसायों को जैविक खेतीबाड़ी और इससे उत्पन्न कृषि उत्पादों के व्यवसाय में प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए 25 संकुलों का विकास करेगा। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी।

एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को आर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए पांच जिलों के चयन के लिए इस उद्योग मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री मायावती से मुलाकात करेगा। रावत ने बताया कि एसोचैम उत्तर प्रदेश के पांच जिलों को 'आर्गेनिक जनपद' बनाने के लिए गोद लेगा और वहां के किसानों को तीन साल तक कार्बनिक खेती के प्रशिक्षण के साथ उन्हें वैश्विक एजेंसियों से प्रमाण पत्र भी दिलवाएगा।

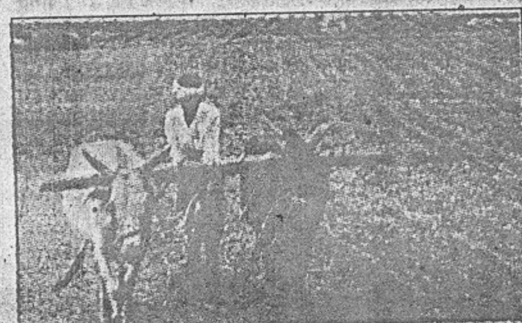

रावत ने दावा किया कि कार्बनिक खेती और एसोचैम द्वारा उत्पादों के विपणन में सहायता देने से किसानों की आमदनी 200 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि इन आर्गेनिक जिलों के नाम मुख्यमंत्री मायावती से चर्चा के बाद तय होंगे। एसोचैम महासचिव ने बताया कि विदेश में कार्बनिक खाद्य उत्पादों का विशाल बाजार मौजूद होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में आर्गेनिक खेती का चलन लगभग ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि एसोचैम ने तीन साल के अंदर इस राज्य से एक हजार करोड़ रुपए के आर्गेनिक खाद्य पदार्थों के सालाना निर्यात का लक्ष्य तय किया है।

रावत ने बताया कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका में जैविक विधि से उत्पादित खाद्य उत्पादों का बाजार दो लाख करोड़ रुपए का है जबकि भारत से अभी ऐसे सिर्फ 450 करोड़ रुपए के उत्पादों का सालाना निर्यात किया जाता है। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि अगले तीन साल के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश से ही एक हजार करोड़ रुपए के आर्गेनिक उत्पादों का सालाना निर्यात शुरू हो जाए।' उन्होंने बताया कि निजी-सार्वजनिक भागीदारी के आधार पर कलस्टर बनाए जाने का प्रस्ताव है और एसोचैम सरकार से मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराने का आग्रह करेगा। रावत ने बताया कि इन कलस्टर में खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग, बिजली के साधारण उपकरण तथा सिले कपड़े की इकाइयां भी लगाई जाएंगी। इनसे करीब छह लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 13 जनवरी 2011

कृषि में प्रयोग हो सकता है गंदा पानी

नई दिल्ली, जासं : कृषि के लिए स्वच्छ जल के बजाय हम गंदे पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। यह बात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उप महानिदेशक प्रो. एकेसिंह ने जवाहर लाल नेहरू विवि (जेएनयू) में स्कूल ऑफ लाइफ साइंस द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कही। वे 'जल संसाधन : कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव' विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। लाइफ साइंस स्कूल के प्राध्यापक डॉ. अश्वनी पारिक ने बताया कि भारत में शाकाहारी लोगों की संख्या अधिक है, जबकि मांसाहारी देशों में जल संकट को और खतरा है। एक किलो शाकाहार के पोषण में जितने जल की खपत होती है, उससे 20 गुना पानी की खपत एक किलो मांस के पोषण में होती है। इसीलिए शाकाहार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। संगोष्ठी के दौरान वाशिंगटन विवि और जेएनयू विवि के बीच कृषि में शोध को लेकर एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार 5 जनवरी 2011

महिला सरपंच के पति की भी ट्रेनिंग जरूरी

केरल सरकार सरपंचपतियों को रास्ते पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी

अंजलि सिन्हा ॥

पंचायतों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण का असर धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अब दिखने लगा है। इसे और ठोस तथा व्यवस्थित रूप देने के लिए केरल सरकार ने एक अच्छी पहल की है। बीते नवंबर में वहां पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। इनमें वहां लगभग दस हजार महिलाएं चुनी गई हैं।

केरल सरकार ने इन महिला प्रतिनिधियों के घर वालों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। इसमें घरवालों को यह सिखाया जाएगा कि जब परिवार की महिला सार्वजनिक काम में व्यस्त हो, तो आप अपने घर-परिवार की देखभाल कैसे करें। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया जाएगा कि परिवार की बहू या पत्नी जो नई भूमिका संभालने जा रही है, उसमें आप उसकी मदद किस-किस तरह से कर सकते हैं। अगर दूसरे राज्य भी सरपंच पतियों के प्रशिक्षण के लिए ऐसा ही कोई प्रयास करें तो इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

नाम का पद

अब जरा इस मामले में उत्तर भारत के राज्यों पर गौर करें। यहां की सरकारों को महिला प्रतिनिधियों के जीवन और उनके कामकाज पर ध्यान देने की फुरसत ही नहीं है। वे इसी पर गदगद हैं कि उन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया। फिर यहां का सामाजिक माहौल ऐसा है कि अगर केरल जैसा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया भी जाए तो महिला प्रतिनिधियों के घरवाले उसमें शामिल होना अपनी शान के खिलाफ समझेंगे। तभी तो इधर बिहार और उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं प्रधान या सरपंच चुनी गई हैं उनके पतियों का 'पद' उन महिला प्रतिनिधियों से ऊपर है। आमतौर पर महिला सरपंच के पति ही सारा काम संभालते हैं। वे ही चुनाव प्रचार करते हैं और वही जीत का जश्न मनाते हैं। पंचायत भवन के सभी निर्णयों में उन्हीं का दबदबा होता है, भले ही कागज पर उनकी पत्नी पद संभालती हो।

अधिकार से दूर

पंजाब के संगरूर जिले के एक गांव का दौरा अब भी याद है। वहां की महिला सरपंच से मिलने की इच्छा जाहिर की तो आयोजक मुझे एक संपन्न परिवार के घर ले गए। उनके पति ने जोरदार स्वागत किया। फिर ठहाका मारते हुए उन्होंने बताया कि सरपंच साहिबा खाना पका रही हैं और उनका काम मैं ही देखता हूं। हाल में मध्य प्रदेश से खबर आई कि पंचायती खजाने की चाबी चुनी गई महिलाओं के पतियों के हाथ में है और वे पत्नी का फर्जी दस्तखत कर बैंकों से लेन-देन भी कर रहे हैं। पंचायती मामलों के मंत्री ने इस गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन की तरफ से यह भी आदेश दिया गया है कि जिन बैठकों में सरपंचों के पति बैठें उसकी विडियो रेकॉर्डिंग की जाए। कुछ समय पहले गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं पर किए गए अध्ययन में भी यही बात सामने आई थी कि अधिकतर महिलाएं पंचायतों की नामधारी सदस्य होती हैं और पंचायतों की वास्तविक जिम्मेदारी पति या ससुर संभालते हैं। जाहिर है कि महिला प्रतिनिधियों को उनका वास्तविक अधिकार नहीं मिल सका है।

मौजूदा पितृ सत्तात्मक ढांचे में इन महिलाओं का घरों के अंदर सशक्त न होना ऐसी कड़वी सचाई है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में हुए सर्वेक्षण में एक भी पंचायत सदस्य ऐसी नहीं मिली, जिसके नाम जमीन का कोई टुकड़ा या मकान था, जबकि इनका परिवार गरीब या भूमिहीन नहीं था। इन प्रतिनिधियों में से 66 फीसदी के परिवारों के पास 20 एकड़ या उससे अधिक जमीन थी। वैसे तो केरल में भी स्थिति अच्छी नहीं होगी, तभी तो प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। लेकिन प्रमुख बात यह है कि सिर्फ शासनादेश जारी करने के बजाय वहां समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक कदम उठाया जा रहा है। दरअसल वहां की सरकारें अपने सामाजिक-राजनीतिक दायित्वों को लेकर काफी सचेत रही हैं। राजनैतिक स्तर पर भी सरकारों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और नए नियम बनाए हैं। सरकारी प्रयासों का ही नतीजा है कि साक्षरता में यह राज्य अव्वल रहा है। देश के दूसरे हिस्से में तथा दूरदराज तक वहां की महिलाएं कमाने के लिए निकल पाती हैं।

Gireesh

कौन सा राज्य होगा जहां केरल की नर्स किसी ने नहीं देखी होगी। साफ है कि वहां महिलाओं की गतिशीलता पर रोकटोक कम है। लेकिन समाज का समग्र बदलाव अभी बाकी है। परंपरागत रूप से मातृवंशी समाज होने के बावजूद वहां घरेलू हिंसा कायम है तथा पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर का हक नहीं मिलता। वहां भी किसी न किसी रूप में पितृसत्ता के कई दुर्गुण घरों में कायम हैं, जैसे पुरुषों का घर की जिम्मेदारी नहीं लेना या नशाखोरी आदि करना। इसीलिए स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं।

जब केरल इंस्टिट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पिछले निकाय सदस्यों के बीच एक अध्ययन कराया गया तो पता चला कि चुनी गई महिलाओं को परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता। प्रतिनिधियों ने विस्तार से बताया कि किस तरह छोटी-छोटी बातों पर घर में क्लेश होता है। उनका यह भी कहना था कि अगर सरकार के स्तर से परिवार के सदस्यों को समझाया जाए तो वे बात समझ भी सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह योजना बनी। इसके लिए प्रशिक्षण का जो कोर्स बनाया जा रहा है, उसमें सभी घरेलू मामलों को शामिल किया जाएगा। मकसद है -पुरुषों को संवेदनशील बनाना।

एम्पावरमेंट की जरूरत

यह ठीक है कि केरल की महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मगर उत्तर भारत की स्त्रियों की तुलना में उनकी हालत फिर भी बेहतर है। केरल ही नहीं, दक्षिण के अन्य राज्यों में भी भ्रूण हत्या, दहेज हत्या या बलात्कार के मामले कम होते हैं। उन राज्यों की सरकारें भी स्त्रियों की समस्याओं को लेकर कहीं ज्यादा संवेदनशील हैं। इसलिए केरल से प्रेरणा लेकर केंद्र तथा राज्य सरकारें महिलाओं के हित में नियम-कानून बनाएँ। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उनका एम्पावरमेंट हो।